



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना चांदपुर

दिनांक 20.12.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 486/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 22.07.2023 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त काली पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम चन्दन कटी थाना केलादेवी जनपद सम्भल को एक स्विफ्ट कार (डी0एल0 3सी एडब्ल्यू 6227) में एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित पूर्व में ही गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त रोहदास भोदल पुत्र नरेशपाल निवासी ग्राम चन्दन कटी थाना केला देवी जनपद सम्भल मौके से फरार हो गया था। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 486/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 20.12.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 486/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त रोहदास उर्फ भोदल पुत्र नरेशपाल निवासी ग्राम चन्दन कटी थाना केला देवी जनपद सम्भल को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. रोहदास उर्फ भोदल पुत्र नरेशपाल निवासी ग्राम चन्दन कटी थाना केला देवी जनपद सम्भल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1—उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2—आरक्षी 1154 चरणदास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 3—आरक्षी 2070 मोहित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 20.12.2024

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1138/24 धारा 140(2)/317(3) बीएनएस में वांछित व 25000/- रुपये के इनामी अभियुक्त को पुलिस मुठेभड में अवैध शस्त्र मय कारतूस, नगदी सहित घायल अवस्था में किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.12.2024 को सिने अभिनेता मुश्ताक मौहम्मद खान के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने थाना कोतवाली शहर पर अभिनेता मुश्ताक मौहम्मद खान के अपहरण के संबंध में मु0अ0सं0 1138/24 धारा 140(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया । थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना



में संलिप्त अभियुक्तगण 1- सार्थक चौधरी उर्फ रिक्की 2- सबीउद्दीन उर्फ सैबी 3- अजीम 4- शशांक कुमार व 5- शिवा को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । उपरोक्त घटना में वांछित व 25,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त आकाश उर्फ गोला उर्फ दीपेन्द्र पुत्र आशाराम निवासी मौहल्ला चाहशीरी नई बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत थी ।

पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद बिजनौर द्वारा उक्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 25,000/- रुपये इनाम घोषित किया गया था ।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 19/20.12.2024 की रात्रि में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अपहरण की घटना में फरार अभियुक्त आकाश उपरोक्त मंडावर रोड पर मालन नदी के पुल के नीचे किसी से मिलने आ रहा है । सूचना पर स्वाट/सर्विलांस व थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया तथा उपचार हेतु जिला अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया गया । अभियुक्त आकाश द्वारा पुलिस पार्टी पर की गई फायरिंग में एक गोली उ0नि0 अवनीत मान की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जोकि सुरक्षित है ।

अभियुक्त आकाश उर्फ गोला उर्फ दीपेन्द्र पुत्र आशाराम निवासी मौहल्ला चाहशीरी नई बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के कब्जे से एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर व 10,200/- रुपये की नगदी बरामद की गई। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1157/24 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नोट:- अभियुक्त आकाश उपरोक्त पर जनपद मेरठ पुलिस द्वारा भी 25,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उपरोक्त अपहरण की घटना में फरार अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों लगातार प्रयासरत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आकाश उर्फ गोला उर्फ दीपेन्द्र पुत्र आशाराम निवासी मौहल्ला चाहशीरी नई बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

- 1- 10200/- रुपये नगद
- 2- एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त -

- 1- मु0अ0सं0 244/24 धारा 138/140(2)/3(5)/308(2)/308(5) बीएनएस थाना लालकुर्ती मेरठ।
- 2- मु0अ0सं0 1138/24 धारा 140(2)/317(3) बीएनएस थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
- 3- मु0अ0सं0 1157/24 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. निरीक्षक उदयप्रताप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 अवनीत मान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 शौकत अली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
5. हे0का0 विपिन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
6. हे0का0 अमित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
7. का0 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
8. का0 विशाल सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर।
9. का0 दीपक जावला सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर।